सीता बनाम दलपतसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः–18 / 2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–16 / 07 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या –18 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 06 / 03 / 2024
निर्णय दिनांक– 16 / 07 / 2025

अनवान

1. सीता देवी पत्नी रामस्वरूप माली जाति माली निवासी लसानी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. दलपतसिंह पिता मांगीलाल जाति रावणा–राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. तलोक पिता किशना रेगर जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **फौत**
   2 / 1 टमुदेवी पत्नि तलोक जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
   2 / 2 लादूलाल पिता तलोक जाति रेगर निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोपाल पिता सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

के खाता संख्या 601 खसरा संख्या 1219 क्षेत्रफल 0.8400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे की होकर प्रार्थिया इसका उपयोग—उपभोग कर रही है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित कुलिया भूमि पर निर्वाध रूप से काश्त वगैरा प्रार्थीया करती रही है। किन्तु प्रार्थीया की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुये पडौसी है। प्रार्थीया वृद्ध एवं महिला है तथा विपक्षीगण धनबल वाले होकर भूमाफिया एवं राजनैतिक रसूकात वाले व्यक्ति होकर हर समय प्रार्थीया को येन केन प्रकारेण डरा धमका कर उसकी भूमि को हथियाने की मंशा रखते है। जिससे प्रार्थीया डरकर एवं घबरा कर उक्त भूमि का उन्हे बेचान करने के लिये विवश हो जावे एवं भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल की बुवाई व कटाई के समय तथा पत्थर का कोट करते समय सीमा सम्बन्धी विवाद होता है तथा अनावश्यक प्रार्थीया को मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पड़ता है. मौके पर अशांति कायम रहती है। प्रार्थीया शान्तिपूर्वक अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रही है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि के पास विपक्षीगण की भूमि मिलती हुई है। व विपक्षीगण प्रार्थीया के भूमि के पडौसी है इसलिए प्रार्थीया चाहती है कि प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढ़ी हो जाये और पड़ौसीयों से किसी प्रकार का सीमा सम्बन्धी विवाद नही हो और भूमि सम्बन्धी होने वाला विवाद हमेशा हमेशा के लिये समाप्त हो जाये। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जे की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सीता बनाम दलपतसिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः—18/2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—16/07/2025

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 03 ने द्वारा आदेशिका पर पत्थरगढ़ी करवाई जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। अप्रार्थी संख्या 02 (1) व (2) बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :—

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सीता बनाम दलपतसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या:—18 / 2024(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:—16 / 07 / 2025

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 601 खसरा संख्या 1219 क्षेत्रफल 0.8400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)